प्रेषक,

कुलदीप कुमार–I,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, तृतीय, जौनपुर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
जौनपुर।

विषयः– पत्रांक 9691/IV-F-82/Admin(A), Dated July 16, 2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषय पर सादर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–14/2024/ सा–3–243/ दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के द्वारा सरकारी सेवकों से पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का विकल्प मांगा गया है। प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति माह नवंबर 2003 में जारी हुई थी तथा दिनांक–26 मई, 2006 को नियुक्ति हुई थी। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन नंबर–1243/डी.आर.(एस)/2006 दिनांकित–13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक–21.06.2006 को जनपद आजमगढ़ में अपर सिविल जज (जू0डि0) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। प्रार्थी पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होना चाहता है जिसके लिए विकल्प पत्र पूर्ण कर, भेजा जा रहा है।

अतः श्रीमान् जी से सादर अनुरोध है कि कृपया विकल्प पत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक–30.09.2024

भवदीय,

30/09/24

(कुलदीप कुमार–I),
तृतीय अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,जौनपुर।
आई0डी0 यू0पी0–6464

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय जौनपुर
पत्रांक J.K.133/XV दिनांक 01/10/24
अग्रसारित

परिवार न्यायालय
जौनपुर